न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेरा – राज.

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 2022/305 आदेश दिनांक :– 15/7/25

1. जगदीश चन्द्र पुत्र बृजलाल, जाति विश्नोई निवासी खाजूवाला, जिला बीकानेर
2. पासरमल पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी खाजूवाला, जिला बीकानेर
3. संजय कुमार पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी खाजूवाला, जिला बीकानेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. उमदा तथाकथित पुत्री ज्वारा पत्नी मंगला जाति चिता निवासी नौसर तह. अजमेर फौत

1/1 मोहन पुत्र मंगला जाति चिता निवासी पाबूथान, तह. पीसांगन।

1/2 छोटू पुत्र मंगला जाति चिता निवासी पाबूथान, तह. पीसांगन।

1/3 इब्राहिम पुत्र बीरम पोत्र मंगला जाति चिता निवासी पाबूथान, तह. पीसांगन।

1/4 मदीना पुत्री बीरम पौत्री मंगला जाति चिता निवासी पाबूथान, तह. पीसांगन।

1/5 सुवानी पुत्री मंगला पत्नी ईदा, जाति चीता निवासी अजबा का बाड़िया

1/6 रतहनी पुत्री मंगला पत्नी बाबू जाति चीता निवासी कासिया, तह. नसीराबाद।

1/7 राधा पुत्री मंगला पत्नी सुबा जाति चीता निवासी मोतीपुरा तह. मसूदा।

1/8 सीता पुत्री मंगला पत्नी पप्पू जाति चीता निवासी मोतीपुरा तह. मसूदा।

1/9 मीरा पुत्री मंगला पत्नी तेजू जाति चीता निवासी मोतीपुरा तह. मसूदा।

2. सोहनी पत्नी बाबू जाति चीता निवासी रातीगंग, वैशाली नगर, अजमेर।
3. लक्ष्मी पुत्री बाबू जाति चीता निवासी रातीगंग, वैशाली नगर, अजमेर।
4. रजिया पुत्री बाबू जाति चीता निवासी रातीगंग, वैशाली नगर, अजमेर ना.बा.।
5. बरकतअली पुत्री बाबू जाति चीता निवासी रातीगंग, वैशाली नगर, अजमेर ना.बा.।
6. अनिरूद्व विश्नोई पुत्र सुनील निवासी काउन प्लाजा सर्किल वैशाली नगर जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी।

उपस्थित :– श्री प्रदीप विशनोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री हेमराज गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी 6

श्री शैकिनलाल गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी 1/2

श्री एस.पी. गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी 1/1, 1/7 से 1/9

आदेश

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नौसर तह. अजमेर के वर्तमान खाता संख्या 74 पुराना 66 के खसरा नम्बर 73 रकबा 03—09—00 बीघा भूमि जवारा पुत्र जमीरा साहिन मंगला पुत्र जोरा मुर्तहीन कौम चीता के नाम है। नामान्तकरण संख्या 139 दिनांक 07.04.2000 के द्वारा उक्त भूमि रहनमुक्त किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2041 में इन्द्राज किया गया। उक्त भूमि के मूल खातेदार जवारा पुत्र जमीरा कौम चीता का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत नामान्तकरण 140 दिनांक 07.04.2000 द्वारा बिरदी पत्नी जवारा के नाम स्वीकृत किया गया। बिरदी पत्नी जवारा द्वारा उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विकय पत्र द्वारा प्रार्थी संख्या 1 के हक में कर कब्जा काश्त सम्भाले जाने पर नामान्तकरण संख्या 141 दिनांक 07.04.2000 से खातेदारी इन्द्राज प्रार्थी जगदीश चन्द्र

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

के नाम स्वीकृत किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2041 में इन्द्राज किया गया। जगदीश चन्द्र द्वारा खसरा नम्बर 73 रकबा 3-09-00 बीघा भूमि में से दो भिन्न-भिन्न विक्रय पत्रों द्वारा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में किया गया जिसका नामान्तकरण 186 दिनांक 20.06.2002 द्वारा प्रार्थी 2 व 3 के पक्ष में इन्द्राज किया गया शेष रकबा 1-09-00 बीघा प्रार्थी 1 की खातेदारी में यथावत रहा। भू-संशोधन की कार्यवाही के बाद खसरा मिलान क्षेत्रफल व आधार जमाबन्दी संवत 2076 खाता संख्या 59 में किये गये इन्द्राज अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 73 रकबा 03-09-00 बीघा भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 70/964 रकबा 0.06 हैक्टयर व खसरा नम्बर 80 रकबा 0.50 हैक्टयर कायम किये गय। इस सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्षर अप्रार्थीगण के पूर्वज उमदा तथाकथित पुत्री ज्वारा पत्नी मंगला द्वारा वाद संख्या 60/2006 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थीगण व बाबू पुत्र मोती जाति चीता के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनांक 29.094.2010 को निर्णय व डिक पारित करते हुए उमदा का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजीयत का खातेदार घोषित किया गया। इस निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2010 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने प्रथम अपली संख्या 235/2010 जगदीश बनाम उमदा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्षर प्रस्तुत की गई जो दिनांक 06.09.2011 को निरस्त कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2010 व राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 06.09.2011 की पालना में नामान्तकरण संख्या 878 दिनांक 31.05.2010 वादीया उमदा के हक में स्वीकृत किया गया। उक्त वर्णित निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2010 व 06.09.2011 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा दि...तीय अपील संख्या 6388/2011 जगदीश चन्द्र व अन्य बनाम उमदा व अन्या माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय व डिकी दिनांक 14.11.2019 द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2010 व 06.09.2011 को निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण विचाराण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। चूंकि नामान्तकरण संख्या 878 दिनांक 31.05.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2010 की पालना में दर्ज किया गया था उसके बाद उमदा द्वारा अपने पक्ष में दर्ज अंकत का नाजायज फायदा उठाते हुए भूमि को आगे अप्रार्थी संख्या 7 अनिरूद्व को विक्रय कर दिया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 881 दिनांक 29.06.2010 दर्ज किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.11.2019 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर का निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2010 को खारिज किया जा चुका है और वाद नये सिरे से दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुऐ पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये है तो उक्त निर्णय व डिकी की अनुपालना में हुए परिवर्तन/ नामान्तकरण संख्या 878 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाज किया जाना आवश्यक है। दौराने वाद मौके की स्थिति के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया और निर्णय पारित हो जाने के पश्चात रिसीवरशुदा भूमि का कब्जा तहसीलदार अजमेर द्वारा बहैसियत रिसीवर ले रखा था और अपील के दौरान राजस्व मण्डल का सीगिन आदेश प्रभावी था वर्तमान में राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 14.11.2019 के पश्चात विवादित आराजी पर किसी प्रकार का सीगिन आदेश प्रभावी नहीं है और रिसीवत द्वारा कब्जा पार्थीगण से प्राप्त किया गया था। वर्तमान में दावा दायरी के समय की स्थिति प्रभावी हो जाने से रिसीवर द्वारा प्राप्त कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया जाना न्यायोचित है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नौसर के खसरा नम्बर 73 रकबा 03-09-00 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 70/964 रकबा 0.06 हैक्टयर व खसरा नम्बर 80 रकबा 0.50 हैक्टयर के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2010 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति बहाल/पुनः सीपित करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/3, से 1/6 व 1/10, अप्रार्थी 2, 3, 4, 5 के नोटिस विधिवत तामील होकर प्राप्त होने के बाजवूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 19.04.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी 6 ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार है न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निश्चय की पालना में नामान्तकरण 878 वादीया उमदा के नाम स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा अपने हक व अधिकारो की विवादित आराजीयत का विधिपूर्ण जरिये पंजीबद्व विकय पत्र कसो अप्रार्थी को विकय किया गया। विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 881 दिनांक 29.06.2010 को अप्रार्थी के हक में स्वीकृत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.11.2019 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिकी को निरस्त कर प्रकरण नये सिरे से दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देतू हुइ पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। ऐसी स्थिति में अभी प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है एवं नामान्तकरण संख्या 878 के बाद नामान्तकरण संख्या 881 स्वीकृत किया जा चुका है पंजीबद्व विकय पत्र पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीगण पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के अधिकारी नहीं है। विकय के बाद अप्रार्थी अनिरूद्व ने कब्जा संभाल लिया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2010 के विरूद्व दो पृथक–पृथक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 235/2010 अनुवान जगदीश बनाम उमदा एवं द्वितीय अपील संख्या 408/2010 अनुवान जवंरी बनाम उमदा प्रस्तुत की गई, उक्त दोनो अपील को राजस्व अपीलप्रपधिकारी अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.09.2011 द्वारा खारिज कर दिया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय के विरूद्व दो पृथक – पृथक अपील राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुई। प्रथम अपील संख्या 6388/2011 जगदीश बनाम उमदा व द्वितीय अपील 7151/2011 जवंरी बनाम उमदा जिसमें द्वितीय अपली 7151/2011 राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। प्रथम अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 14.011.2019 को आंशिक रूप से स्वीकार कर पुनः उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड की गई है। जिसकी पालना में 78/2019 उमादा बनाम बाबू दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचाराधीन है। इस प्रकार प्रकरण का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश के विरूद्व अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुरा में दर्ज हुई है। जिसके नम्बर 98/2010 अनुवान अनिरूद्व बनाम जगदीश वगैराह है जिसमें माननीय न्यायालय का रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश पारित किये गय है, तथा अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने श्रीमान के न्यायालय में तथ्य छुपा कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी 1/1, 1/7 लगायत 1/9 ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि बिरदी के द्वारा जो विकय पत्र प्रार्थी संख्या 1 के हक में निष्पादित किया गया था। उसे निष्पादित करने का अधिकार बिरदी को नहीं था तथा उक्त विकय पत्र के आधार जो नामान्तकरण प्रार्थी संख्या 1 के नाम किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है माननीय राजस्व मण्डल अजमें के निर्णय दिनांक 14.11.202019 के आधार पर जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 के तहत पेश किया गया है उक्त निर्णय में भी बिरदी को जवारा की पत्नी नहीं माना गया है तथा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर राजस्व मण्डल द्वारा निर्देश दिया गया है। नामान्तकरण संख्या 186 दिनांक 20.06.2000 के द्वारा प्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया वह भी शून्य दस्तावेज है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा वाद संख्या 60/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2010 को अपास्त कर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में अंकित कथनो का जवाब इस प्रकार है कि जो नामान्तरण संख्या–878 दिनांक 31/05/2010 को उमदा के हक में निष्पादित किया गया था वह पूर्ण रूप से सही है क्योकि बिरदी कभी भी जवारा की असली पत्नी नही थी जवारा की असली पत्नी सेजी थी जो कि उमदा की माता थी। स्वंय तौफी उर्फ बिरदी के सजरे में बिरदी को मल्ला जी की पुत्री और इंद्रा जी की पौत्री बताया गया है इसके अतिरिक्त मतदाता सूची 1963 के कम सख्या–45 पर जवारा पुत्र जगीरा तथा कम संख्या 47 पर सेजी पत्नी जवारा का अंकन है तथा उमदा पुत्री जवारा का अंकन है जो यह दर्शाता है कि बिरदी, जवारा की पत्नी नही थी एवं जो नामान्तरण बिरदी के द्वारा स्वंय के हक में तस्दीक करवाया गया है वह नामान्तरण प्रारम्भ से शून्य नामान्तरण था तथा उसके आधार पर प्रार्थी संख्या–1 के हक में किया गया विक्रय पत्र जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या–141 दिनांक 07/04/2000 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया वह भी प्रारम्भ से शून्य नामान्तरण था एवं उसके पश्चात प्रार्थी संख्या–1 के द्वारा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में जो दो भिन्न–भिन्न दस्तावेज निष्पादित किये गये वह भी शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आते है एवं उनके आधार पर नामान्तरण संख्या–186 दिनांक 20/06/2002 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया वह भी प्रारम्भ से शून्य नामान्तरण की श्रेणी में आता है। विक्रय पत्र भी माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष चैलेन्ज किया जा चुका है तथा उक्त विक्रय पत्र के बाबत भी सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा जो नामान्तरण संख्या–881 दिनांक 29/6/2010 को दर्ज किया गया है वह नामान्तरण भी प्रारम्भ से शून्य नामान्तरण है। इसलिए जो नामान्तरण को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह माननीय मण्डल द्वारा अपील को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किए जाने के कारण पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 में अंकित कथनो का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्योकि प्रार्थीगण कभी भी वादग्रस्त कब्जे में नही रहे रिसीवर के द्वारा कब्जा उमदा से प्राप्त किया गया था तथा दावा निर्णित होने के बाद कब्जा उमदा को संभलाया गया जो यह दर्शाता है कि प्रार्थीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर कभी नही रहा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करे।

3. पत्रावली में उभय पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेज का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

4. प्रार्थीगण द्वारा धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी तहत प्रस्तुत कर न्यायलय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के 60/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2010 की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में होकर राजस्व मण्डल द्वारा उपखण्ड अधिकारी का निर्णय अपास्त कर उभयपक्षकारों को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई। चुंकि वाद संख्या 60/2006 में पारित उपखण्ड अधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 29.04.2010 की पालना राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो जाने से रिकार्ड में हुए परिवर्तन को पुनः उपखण्ड अधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 29.04.2010 से पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु प्रस्तुत किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज अपील संख्या 6388/2011 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका संख्या 98/2020 अनिरूद्ध बनाम जगदीश पेशी हेतु प्रस्तुत हुई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 14.02.2020 को आदेश पारित करते हुए मूलवाद में अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल की रिट याचिक संख्या 6388/2011 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर मूल वाद का रिकार्ड तलब किया गया है। माननीय राजस्व

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 14.11.2019 में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2011 व 29.04.2010 को निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है कि वे प्रकरण की पूर्ण जांच व परीक्षण कर व पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रार्थीगण के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर में निर्णय व डिक्री पालना राजस्व रिकार्ड में हो जाने से रिकार्ड परिवर्तन हो गया है, जिसको मूल वाद के निर्णय से पूर्व राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, यह सही है कि उक्त विवादित आराजीयत के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 29.04.2010 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त कर दिया है तथा उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर विवादित भूमि के रिकार्ड में जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर उक्त आराजीयत को खुर्द– बुर्द बैचान या हस्तान्तरण किया जाता है, तो पक्षकारो में विवाद ओर बढ जायेगा तथा मुकदमें की वास्तविक स्थिति में भी परिर्वतन हो जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका में भी मूल वाद की अग्रीम कार्यवाही को स्थगित किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार के परिर्वतन के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में विवादित आराजीयत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14.11.2019 की पालना में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो,तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा मूल वाद के निर्णय दिनांक 29.04.2010 से पूर्व रिकोर्ड की स्थिति बहाल करे। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 20813/2018 के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 15/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रत्ना कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
अजमेर